Department of Law and Justice

DIPP Point No. 329

Question	Remarks
10a. Commercial Dispute Resolution Enablers **Q:** Establish specialized courts at the district court level to resolve commercial disputes	The Commercial Courts, Commercial division and Commercial Appellate Division of High Court Act 2015, specifies that commercial cases of the value of INR 1 crores or more will be dealt by Commercial Courts. As per High Court of Ranchi, number of pending commercial cases in Jharkhand, with valuation of INR 1 Crore or more are only 23 as on May 2016. These cases are primarily in 3 districts. Accordingly, in consultation with the High Court of Ranchi, Government of Jharkhand, has created 3 commercial courts, one each at Ranchi, Dhanbad and Jamshedpur.

Department of Law and Justice

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रॉंची–834004

—:: अधिसूचना ::—

एस0 ओ0– रॉंची, दिनांक–24 मई, 2016

राज्य सरकार, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रॉंची के परामर्श से The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Court Act, 2015 की धारा–3 (1) के तहत रॉंची, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिलों में जिला न्यायाधीश स्तर के 01–01 (एक–एक) अर्थात कुल तीन 03 (तीन) वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन करती है, जिसका क्षेत्राधिकार क्रमशः रॉंची, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिलें की स्थानीय सीमाएँ होंगी।

2. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगी।

(बी01 / विधि–कोर्ट गठन–क–02–2016 (छाया)–1220/जे0)

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

24/5/16

(दिनेश कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, रॉंची।

Department of Law and Justice

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रॉंची–834004

—:: अधिसूचना ::—

एस0 ओ0– रॉंची, दिनांक– 24 मई, 2016

निम्नांकित अंग्रेजी भाषानुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा अंकित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेछद 348 के खंड–(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(बी01/विधि–कोर्ट गठन–क–02–2016 (छाया)–1220/जे0)

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(दिनेश कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, रॉंची।

NOTIFICATION

S.O.

In exercise of the powers conferred by Section 3 (1) of The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Court Act, 2015, the State Government in consultation with the Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi, is pleased to establish one Commercial Court each at Ranchi, Dhanbad & East Singhbhum (Jamshedpur) District. The jurisdiction of above mentioned Commercial Courts at Ranchi, Dhanbad and East Singhbhum (Jamshedpur) shall be the local limits of Ranchi, Dhanbad and East Singhbhum (Jamshedpur) District respectively.

2. This Notification shall come into force with effect from the date of notification.

(File No.-B/Vidhi-Court Gathan-Ka-02/2016- 1220 /J)
By the order of the Governor of Jharkhand

24/5/16

(Dinesh Kumar Singh)
Principal Secretary-cum-L.R.

SUPPORTING DOCUMENT

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रॉची–834004

–:: अधिसूचना ::–

एस0 ओ0–

राँची, दिनांक– 24 मई, 2016

राज्य सरकार, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के परामर्श से The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Court Act, 2015 की धारा–3 (1) के तहत राँची, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिलों में जिला न्यायाधीश स्तर के 01–01 (एक–एक) अर्थात कुल तीन 03 (तीन) वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन करती है, जिसका क्षेत्राधिकार क्रमशः राँची, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिलें की स्थानीय सीमाएँ होंगी।

2. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगी।

(बी01/विधि–कोर्ट गठन–क–02–2016 (छाया)–1220/जे0)

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

24/5/16

(दिनेश कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची–834004

–:: **अधिसूचना** ::–

एस0 ओ0–   राँची, दिनांक– 24 मई, 2016

निम्नांकित अंग्रेजी भाषानुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा अंकित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेछद 348 के खंड–(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(बी01/विधि–कोर्ट गठन–क–02–2016 (छाया)–1220/जे0)

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(दिनेश कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

NOTIFICATION

S.O.

In exercise of the powers conferred by Section 3 (1) of The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Court Act, 2015, the State Government in consultation with the Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi, is pleased to establish one Commercial Court each at Ranchi, Dhanbad & East Singhbhum (Jamshedpur) District. The jurisdiction of above mentioned Commercial Courts at Ranchi, Dhanbad and East Singhbhum (Jamshedpur) shall be the local limits of Ranchi, Dhanbad and East Singhbhum (Jamshedpur) District respectively.

2. This Notification shall come into force with effect from the date of notification.

(File No.-B/Vidhi-Court Gathan-Ka-02/2016-1220/J)
By the order of the Governor of Jharkhand

24/5/16

(Dinesh Kumar Singh)
Principal Secretary-cum-L.R.
Law Department
Govt. of Jharkhand, Ranchi.

SUPPORTING DOCUMENT

पत्रांक :–13/वरीय पद सृजन –03/2016 ..../

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

सुमन कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक..............................

विषय :– The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015 की धारा 3 के तहत राँची, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिलों में गठित वाणिज्यिक न्यायालयों हेतु झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश स्तर के 03 पीठासीन पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति ।

आदेश – राँची, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिलो में वाणिज्यिक न्यायालय हेतु झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश स्तर के 03 पीठासीन पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है:-

क्रमांक	जिले का नाम	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	राँची	पीठासीन पदाधिकारी	01	51550–63070
2	धनबाद	पीठासीन पदाधिकारी	01	51550–63070
3	पूर्वी सिंहभूम	पीठासीन पदाधिकारी	01	51550–63070
		कुल	03	

2. उक्त पदों पर होने वाला व्यय का उपबंध मुख्य शीर्ष 2014 न्याय प्रशासन के सुसंगत लघु शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. उक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव पर योजना–सह–वित्त विभाग के माध्यम से प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा प्राप्त है।

4. पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(सुमन कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – 13/वरीय पद सृजन –03/2016 ......3620....... /राँची, दिनांक......04/5/16....

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/योजना–सह–वित्त विभाग, बजट शाखा, झारखण्ड, राँची /प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राँची/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धनबाद/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

पत्र संख्या–बी0 / विधि–कोर्ट गठन–क–02 / 2016 (छाया)–1280 / जे0

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, धूर्वा, राँची–834004

सेवा में
महालेखाकार, झारखंड,
पो0–डोरण्डा, राँची ।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक– 02 जून, 2016

विषय– राँची, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिलों में वाणिज्यिक न्यायालयों के संचालन हेतु वर्ग–III एवं वर्ग–IV के कुल 21 (इक्कीस) अराजपत्रित पदों के सृजन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में संसूचित करना है कि राज्य सरकार ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के सहमति से राज्य के राँची, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिलों में वाणिज्यिक न्यायालयों के संचालन हेतु निम्नांकित अराजपत्रित पदों के गैर योजना मद में सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की है :–

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	पे बैंड	वेतनमान	ग्रेड पे	कुल वार्षिक व्यय
1.	बैंच क्लर्क (ग्रेड–3)	06	PB-I	5200–20200 /–	2400	16,49,736 /–
2.	आशुलिपिक (ग्रेड–3)	03	PB-I	5200–20200 /–	2400	8,24,868 /–
3.	चालक	03	PB-I	5200–20200 /–	1900	6,48,072 /–
4.	बयान टंकक	03	PB-I	5200–20200 /–	1900	6,48,072 /–
5.	अनुसेवक	06	PB-I	5200–20200 /–	1800	11,75,760 /–
	कुल–	**21**				**49,46,508 /–**
	(उनचास लाख छिआलिस हजार पाँच सौ आठ रूपये मात्र)					

2. उल्लिखित 21 (इक्कीस) अराजपत्रित पदों के संधारण में प्रतिवर्ष आवर्त्तक व्यय रू0 49,46,508 /– (उनचास लाख छिआलिस हजार पाँच सौ आठ रूपये मात्र) व्यय होने की संभावना है।

3. उपरोक्त पदों के संधारण पर प्रतिवर्ष आवर्त्तक व्यय की राशि रू0 49,46,508 /– (उनचास लाख छिआलिस हजार पाँच सौ आठ रूपये मात्र) का व्यय गैर योजना आय व्यय मुख्यशीर्ष– 2014–न्याय प्रशासन– लघुशीर्ष–105–सिविल और सेशन्स न्यायालय–उपशीर्ष–01–सिविल और सत्र न्यायालय–विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं जीवन यापन भत्ता–01–वेतन एवं जीवन यापन भत्ता–विपत्र कोड–27N201400105010101 के अधीन विकलनीय होगा।

4. पदधारकों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता भी देय होगा ।

(कृ0पृ0उ0)

5. उपरोक्त 21 (इक्कीस) अराजपत्रित पदों के सृजन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विधि) मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।

6. उपरोक्त 21 (इक्कीस) अराजपत्रित पदों के सृजन के प्रस्ताव पर योजना–सह–वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

7. उपरोक्त 21 (इक्कीस) अराजपत्रित पदों के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक–29.03.2016 को आहूत बैठक में क्रमांक–4 पर सहमति प्राप्त है।

8. उपरोक्त 21 (इक्कीस) अराजपत्रित पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–26.04.2016 को संपन्न बैठक में मद संख्या–12 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

ह0/–
(दिनेश कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञाप संख्या–बी0/विधि–कोर्ट गठन–क–02/2016 (छाया)–1280/जे0 राँची, दिनांक–02 जून, 2016

प्रतिलिपि–महानिबंधक, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/बजट शाखा (योजना–सह–वित्त विभाग), झारखंड, राँची/प्रधान सचिव–सह–आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, झारखंड, राँची/निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखंड, राँची/न्यायायुक्त, राँची/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/6/16

(दिनेश कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।